



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)
जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)



विज्ञापन

क्रमांक/..369./MG NREGA/जि.पं./स्था./2019-20

दन्तेवाड़ा, दिनांक 04/02/2020

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर पत्र क्रमांक 806/पं.ग्रा.वि.वि./22/2011 रायपुर दिनांक 06.04.2011 एवं छ.ग.पं.ग्रा.वि.वि. के पत्र क्रमांक 1848/22/पं.ग्रा.वि.वि. नया रायपुर दिनांक 06.05.2017 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध जिला पंचायत दन्तेवाड़ा में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 28/02/20 को 5:30 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पद की सं.	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	संविदा वेतन प्रतिमाह (एकमुश्त)
1	कार्यक्रम अधिकारी	01	00	00	01	00	31450/-
2	सहायक प्रोग्रामर	01	00	00	01	00	27740/-


महात्मा गांधी नरेगा हेतु संविदा पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

- कार्यक्रम अधिकारी :- प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई./MRTM(Master of Rural Technology and Management)/गणित/भौतिक विषय में स्नातकोत्तर।
- सहायक प्रोग्रामर :- 1. कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. विषय में बी.ई./बी.टेक।
2. एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी.(कम्प्यूटर साईंस/आई.टी)

नियम व शर्तें :-

- कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक प्रोग्रामर के आवेदकों छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- अ.ज.जा. वर्ग जाति की पुष्टि में आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
- संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- छ.ग. शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भूतपर्व सैनिकों के लिए उक्त रिक्त पदों में नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा।

11. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
13. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं।
15. संविदा हेतु उक्त पद के लिये आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (MGNREGA) जिला पंचायत कार्यालय दन्तेवाड़ा पिन कोड 494449 में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 28/02/2024 5:30 बजे है, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन विलंब से प्राप्त होने पर कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। आवेदन पत्र साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं स्वयं पता लिखा 02 लिफाफा प्रत्येक में 5-5 रूपये का डाक टिकट चسपा होना अनिवार्य है। तथा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।
16. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
17. विस्तृत नियम-शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप दन्तेवाड़ा जिले की वेबसाईट WWW.dantewada.gov.in एवं जिला पंचायत कार्यालय दन्तेवाड़ा के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
18. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान का एक वर्ष या उससे अधिक अनुभव प्राप्त है तो अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
19. पूर्व में शासकीय ग्रामीण विकास की योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण सेवा से पृथक किया गया है, ऐसे आवेदकों का आवेदन निरस्त किया जावेगा।


कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

नवीनतम पासपोर्ट
फोटो स्वयं द्वारा
प्रमाणित

- आवेदित पद का नाम :
1. आवेदक का नाम :
- (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :
2. पिता/पति का नाम :
- (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :
3. लिंग :
4. जाति (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) :
5. जन्मतिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
6. आयु (01.01.2020 को) : वर्ष.....माह.....दिन.....
7. पत्र व्यवहार का पता :
- :
- :
- :पिन.कोड
8. स्थायी पता :
- :
- :
- :पिन.कोड
9. मोबाईल नम्बर :
10. क्या आप छ.ग. के मूल निवासी है(हैं/नहीं) :
- (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न)
11. राष्ट्रियता :
12. जन्म स्थान :

13. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

14. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित :
- पंजीयन क्रमांक व दिनांक
15. वैवाहिक स्थिति(विवाहित/अविवाहित) :
- विवाह की तिथि :
- बच्चों की संख्या :
16. अन्य योग्यता/अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अनुभव संस्था का नाम	पद का नाम
अनुभव की अवधि	-
अनुभव का कार्यक्षेत्र	-

17. संलग्न प्रमाण-पत्र :- 1 2 3.....
- 4 5 6

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी अनुसार पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ, इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है एवं इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

पूर्ण नाम व पता